

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 180]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 1973/श्रावण 8, 1895

No. 180]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 1973/SRAVANA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 30th July 1973

G.S.R. 366(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Bedana variety of pomegranates, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).

[No. III/F. No. 355/74/72-Cu.-I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1973

सं० का० नि० 366(अ) —सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने

पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, अनार की "बेदाना" किस्म को, जब कि वह भारत में आयात किया जाए, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क में छूट देती है।

[सं० 111/फा० सं० 355/74/72-सीमा शुल्क-1]

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 90/F. No. 355/58/71-Cus. I, dated the 21st October, 1971, namely:—

In the said notification, for the word "pomegranates" the words "pomegranates, other than the Bedana variety," shall be substituted.

[No. 112/F. No. 355/74/72-Cus. I.]

S. NARAYANAN, Deputy Secy.

सा० फा० नि० 367(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 90/फा० सं० 335/58-71—सीमा-शुल्क-1 तारीख 21 अक्तूबर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "अनार" शब्द के स्थान पर "बेदाना किस्म के भिन्न अनार" शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 112/फा० सं० 355/74/72-सीमा शुल्क 1]

एस० नारायणन, उप सचिव।